गोपाल नोगिया



निवास — कार्यालय मं. नं. 835/6, आदर्श डिग्री कॉलेज के पीछे शान्ति नगर प्रभात मौहल्ला, अजमेर Mob. No. 9252914995

मगर निगम, अजनेर द्वारा मानधित्र स्वीकृति हेतु स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अधिकृत अधिवयता

दिनांक- 27/03/2018

प्रेवित:-

)

(1) श्री कन्हैयालाल पुरस्वानी पुत्र श्री रामचन्द्र, निवासी मकान नम्बर 62, गली नम्बर 02, चौधरी कॉलोनी वैशालीनगर, अजमेर।

(2) श्री गुरनामल पुरस्वानी पुत्र स्व0श्री पेसूमल जी, निवासी मकान नम्बर 333/15, सतगुरू मौहल्ला, खारी खुई, अजमेर।

विषय – आवासीय भूखण्ड जो कि खसरा नम्बर 547, 550, 555, 557 व 558 का भाग है वाकै राजस्व ग्राम कोटडा अजमेर में स्थित है के आवासीय बहुमंजिला निर्माण हेतू स्वामित्व के प्रमाण पत्र वावत्

उपरोक्त संदर्भ में मैंने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जॉच की, जॉच में स्वामित्व वावत् निम्न वर्णित है। आवेदकगण (1) श्री कन्हैयालाल पुरस्वानी पुत्र श्री प्रमचन्द्र निवासी मकान नम्बर 62, गली नम्बर 02, चौधरी कॉलोनी वैशालीनगर अजगेर व (2) श्री गुरनामल पुरस्वानी पुत्र स्व0श्री पेसूमल जी निवासी मकान नम्बर 333/15, सतगुरू मौहल्ला, खारी खुई, अजमेर को उक्त भूखण्ड सात अलग — अलग दस्तावेजों से प्राप्त हुए। जिरामें से भूखण्ड जिसका कुल क्षेत्रफल 1016 वर्गगज है (1) श्री कन्हैयालाल पुरस्वानी पुत्र श्री रामचन्द्र व (2) श्री गुरनामल पुरस्वानी पुत्र स्व0श्री पेसूमल जी को नगर सुधार न्यास अजमेर द्वारा शहरी जमाबन्दी के आधार पर आवासीय प्रयोजनों के लिए भूमि पष्टा विलेख राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृर्षि भूमि का गैर कृष्ठि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि पष्टा विलेख दिनांक 26. 10. 2012 को प्राप्त हुआ जिसका पंजीयन उप पंजीयक महोदय के यहां दिनांक 26.10. 2012 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 312 पृष्ठ संख्या 81 क्रम संख्या 20120077774 पर पंजीवद्ध किया जाकर अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1 जिल्द संख्या 1246 पृष्ठ संख्या 276 से 282 कर चस्पा किया गया।

इसी प्रकार भूखण्ड जिसका कुल क्षेत्रफल 361.66 वर्गगज है (1) श्री कन्हैयालाल पुरस्वानी पुत्र श्री रामचन्द्र व (2) श्री गुरनामल पुरस्वानी पुत्र स्व0श्री पेसूमल जी को नगर सुधार न्यास अजमेर द्वारा शहरी जमावन्दी के आधार पर आवासीय प्रयोजनों के लिए भूमि पट्टा विलेख राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि पट्टा विलेख दिनांक 26. 09.2012 को प्राप्त हुआ जिसका पंजीयन उप पंजीयक महोदय के यहां दिनांक 26.10. 2012 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 312 पृष्ठ संख्या 73 क्रम संख्या 2012007766 पर पंजीबद्ध किया जाकर अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1 जिल्द संख्या 1246 पृष्ठ संख्या 213

लगातार.....2

इसी प्रकार भूखण्ड जिसका कुल क्षेत्रफल 272.22 वर्गगज है (1) श्री कन्हैयालाल पुरस्वानी पुत्र श्री रामचन्द्र व (2) श्री गुरनामल पुरस्वानी पुत्र स्व0श्री पेसूमल जी को नगर सुधार न्यास अजमेर द्वारा शहरी जमाबन्दी के आधार पर आवासीय प्रयोजनों के लिए भूमि पट्टा विलेख राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषिं भूमि का गैर कृषिं प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि पट्टा विलेख दिनांक 26. 09.2012 को प्राप्त हुआ जिसका पंजीयन उप पंजीयक महोदय के यहां दिनांक 26.10. 2012 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 312 पृष्ठ संख्या 79 क्रम संख्या 2012007772 पर पंजीबद्ध किया जाकर अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1 जिल्द संख्या 1246 पृष्ठ संख्या 255 से 261 कर चस्पा किया गया।

इसी प्रकार भूखण्ड जिसका कुल क्षेत्रफल 272.22 वर्गगज है (1) श्री कन्हैयालाल पुरस्वानी पुत्र श्री रामचन्द्र व (2) श्री गुरनामल पुरस्वानी पुत्र स्व0श्री पेसूमल जी को नगर सुधार न्यास अजमेर द्वारा शहरी जमाबन्दी के आधार पर आवासीय प्रयोजनों के लिए भूमि पट्टा विलेख राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि पट्टा विलेख दिनांक 26. 09.2012 को प्राप्त हुआ जिसका पंजीयन उप पंजीयक महोदय के यहां दिनांक 26.10. 2012 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 312 पृष्ट संख्या 77 क्रम संख्या 2012007770 पर पंजीबद्ध किया जाकर अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1 जिल्द संख्या 1246 पृष्ट संख्या 241 से 247 कर चस्पा किया गया।

इसी प्रकार भूखण्ड जिसका कुल क्षेत्रफल 299.55 वर्गगज है (1) श्री कन्हैयालाल पुरस्वानी पुत्र श्री रामचन्द्र व (2) श्री गुरनामल पुरस्वानी पुत्र स्व0श्री पेसूमल जी को नगर सुधार न्यास अजमेर द्वारा शहरी जमाबन्दी के आधार पर आवासीय प्रयोजनो के लिए भूमि पट्टा विलेख राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि पट्टा विलेख दिनांक 26. 09.2012 को प्राप्त हुआ जिसका पंजीयन उप पंजीयक महोदय के यहां दिनांक 26.10. 2012 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 312 पृष्ठ संख्या 78 क्रम संख्या 2012007771 पर पंजीबद्ध किया जाकर अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1 जिल्द संख्या 1246 पृष्ठ संख्या 248 से 254 कर चस्पा किया गया।

इसी प्रकार भूखण्ड जिसका कुल क्षेत्रफल 248.88 वर्गगज है (1) श्री कन्हैयालाल पुरस्वानी पुत्र श्री रामचन्द्र व (2) श्री गुरनामल पुरस्वानी पुत्र स्व0श्री पेसूमल जी को नगर सुधार न्यास अजमेर द्वारा शहरी जमाबन्दी के आधार पर आवासीय प्रयोजनो के लिए भूमि पट्टा विलेख राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि पट्टा विलेख दिनांक 26. 09.2012 को प्राप्त हुआ जिसका पंजीयन उप पंजीयक महोदय के यहां दिनांक 26.10. 2012 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 312 पृष्ठ संख्या 75 क्रम संख्या 2012007768 पर पंजीबद्ध किया जाकर अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1 जिल्द संख्या 1246 पृष्ठ संख्या 227 से 233 कर चस्पा किया गया।

इसी प्रकार भूखण्ड जिसका कुल क्षेत्रफल 307.22 वर्गगज है (1) श्री कन्हैयालाल पुरस्वानी पुत्र श्री रामचन्द्रं व (2) श्री गुरनामल पुरस्वानी पुत्र स्व०श्री पेसूमल जी को नगर सुधार न्यास अजमेर द्वारा शहरी जमाबन्दी के आधार पर आवासीय प्रयोजनो के लिए भूमि पट्टा विलेख राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषिं भूमि का गैर कृषिं प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि पष्टा विलेख दिनांक 26. 09.2012 को प्राप्त हुआ जिसका पंजीयन उप पंजीयक महोदय के यहां दिनांक 26.10. 2012 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 312 पृष्ठ संख्या 74 क्रम संख्या 2012007767 पर पंजीबद्ध किया जाकर अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1246 पृष्ठ संख्या 220 से 226 कर चस्पा किया गया।

इस प्रकार उपरोक्त भूखण्डो पर प्रार्थीगण (1) श्री कन्हैयालाल पुरस्वानी पुत्र श्री रामचन्द्र व (2) श्री गुरनामल पुरस्वानी पुत्र स्व०श्री पेसूमल जी मालिक स्वामी काविज है।

कार्यालय नगर निगंम अजमेर द्वारा उक्त सम्पत्ति जिसका कुल क्षेत्रफल 2778.66 वर्गगज है का पूर्व मे दिनांक 08.09.2017 को श्री कन्हैयालाल पुरस्वानी पुत्र श्री रामचन्द्र व श्री गुरनामल पुरस्वानी पुत्र स्व०श्री पेसूमल जी के पक्ष में भवन निर्माण मानचित्र स्वीकृत किया जा चुका है।

मेरी राय में उक्त सम्पत्ति प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच करने पर (1) श्री कन्हैयालाल पुरस्वानी पुत्र श्री रामचन्द्र व (2) श्री गुरनामल पुरस्वानी पुत्र स्व0श्री पेसूमल जी को उक्त सम्पत्ति भूखण्डों के संदर्भ मे मालिकाना हक व अधिकार प्राप्त है। सम्पत्ति नगर निगम की सीमा मे स्थित है।

सम्पत्ति विवरण

– आवासीय भूखण्ड जो कि खसरा नम्बर 547, 550, 555, 557 व 558 का भाग है वाकै राजस्व ग्राम कोटडा अजमेर मे स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 1016.91 + 361.66 + 272.22 + 272.22 + 299.55 + 248.88 + 307.22 = 2778.66 वर्गगज है जिसके पूर्व मे 30 फुट चौडा रोड, पश्चिम में अन्य की सम्पत्ति, उत्तर में 60 फुट चौडा रोड व दक्षिण मे अन्य की सम्पत्ति व 30 फुट चौडा रोड है।

उपरोक्त रिपोर्ट निम्न दस्तोवेजो पर आधारित है

- 1. पट्टा विलेख दिनांक 26.09.2012
- 2. पट्टा विलेख दिनांक 26.09.2012
- 3. पट्टा विलेख दिनांक 26.09.2012
- 4. पट्टा विलेख दिनांक 26.09.2012
- 5. पट्टा विलेख दिनांक 26.09.2012
- पट्टा विलेख दिनांक 26.09.2012
- पट्टा विलेख दिनांक 26.09.2012
- 8. स्वीकृत मानचित्र दिनांक 08.09.2017

गोपाल नोगिय Gopal Nogiya Advocate H.No. 835/6, Behind Adarsh Girls College, Shanti Nagar, Prabhat Mohalla, AJMER

Mobile No.-9252914995

गोपाल नोगिया

एडवोकेट



निवास — कार्यालय मं. नं. 835/6, आदर्श डिग्री कॉलेज के पीछे शान्ति नगर प्रभात मौहल्ला, अजमेर Mob. No. 9252914995

नगर निगम, अजमेर द्वारा मानचित्र स्वीकृति हेतु स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अधिकृत अधिवक्ता

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता हैं कि (1) श्री कन्हैयालाल पुरस्वानी पुत्र श्री रामचन्द्र निवासी मकान नम्बर 62, गली नम्बर 02, चौधरी कॉलोनी वैशालीनगर अजमेर व (2) श्री गुरनामल पुरस्वानी पुत्र स्व0श्री पेसूमल जी निवासी मकान नम्बर 333/15, सतगुरू मौहल्ला, खारी खुई, अजमेर ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के तहत भवन निर्माण करने हेतू आवासीय भूखण्ड जो कि खसरा नम्बर 547, 550, 555, 557 व 558 का भाग है वाकै राजस्व ग्राम कोटडा अजमेर मे स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 1016.91 + 361.66 + 272.22 + 272.22 + 299.55 + 248.88 + 307.22 = 2778.66 वर्गगज है के आवासीय बहुमंजिला निर्माण हेतू स्वामित्व की सर्च रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गयी है जो कि —

- (1) कि सर्च रिपोर्ट संलग्न है तथा किसी भी सारवान तथ्य को छुपाया नहीं गया है ना ही कोई तथ्य गलत रूप से प्रस्तुत ही किया गया है।
- (2) कि सर्च रिपोर्ट के तहत प्रार्थी के हक के सम्बन्ध में सभी सत्यापित दस्तावेज निम्न प्रकार से संलग्न कर दिये गये है—
 - 1. पट्टा विलेख दिनांक 26.09.2012
 - 2. पट्टा विलेख दिनांक 26.09.2012
 - 3. पट्टा विलेख दिनांक 26.09.2012
 - 4. पट्टा विलेख दिनांक 26.09.2012
 - 5. पट्टा विलेख दिनांक 26.09.2012
 - 6. पट्टा विलेख दिनांक 26.09.2012
 - 7. पट्टा विलेख दिनांक 26:09.2012
 - 8. स्वीकृत मानचित्र दिनांक 08.09.2017
- (3) कि प्रार्थी का आवेदन की तिथि को वैध कब्जा है।
- (4) कि प्रस्तावित स्थल भवन सरकारी नहीं है प्रार्थी की निजी सम्पत्ति है।
- (5) कि प्रार्थी ने भवन के प्रस्तुत दस्तावेजों के असलियत होने तथा अविवादित हक के बारे में एवं भवन का उपयोग आवासीय ही करेंगे, का शपथ पत्र दे दिया है।
- (6) कि प्रार्थी की भवन जिसके लिये सर्च रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गयी है, कि भूमि आवासीय है।
- (7) कि प्रार्थी का भूखण्ड नगर निगम, नगर विकास न्यास, आवासन मण्डल, सहकारी समिति की योजना का हिस्सा नहीं है।

अतः यह प्रमाण पत्र उक्तानुसार राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही हेतू नगर निगम अजमेर के लिए प्रदान किया जाता

दिनांक :- 27/03/2018

0

Gopal Nogiya Advocate
H.No. 835/8, Behind Advisit Sirls College,
Shanti Nagar, Prubhat Mohalla, AJMER
Mobile No.-9252914995

कार्यालय नगर सुधार न्यास, अजमेर



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिएं उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

MERCEDE

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की राशि कि है है है अक्षरे कि लाक हिंदी के कि जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा रवीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्ती और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेगें, के एवज में नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना

्रें स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व, संबंधी स्वत्वो सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों संरक्षणों प्रतिबंधों बंधनों, शर्ते और करारों के अधीन खरीददार उपने उपयोग, उपभोग, और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

1 लीलाधीरक चगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय—समय पर हमें हेत नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के द्वियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या कि किराया) के तौर पर रूपये...!, ते कि 20 / अंकि लिंक पि विधिरण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि के आठ गुणा. के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्टूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के सदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात और विक्रय या दान या अन्यथा द्वाा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐस पुनरीक्षण या यथास्थिति , अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।

िकार्भाष्ट्री — wand

प्र

प्रभारी अधिकार नियमन प्रभारी अधिकार नियमन्त्र नगर सुधार न्यास, अजमेर ह की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगे।

4 उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल...... अन्तर्गत अनुमित दी गयी है के लिए किया जाऐगा और इस प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।

- 5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- 6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्ते और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होगे मानों प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दियाँ गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तो या किन्ही पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होगें।
- 7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवैद्वान के साथ रिजस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दुरुवाय प्रितृत किये जायेगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर के विक्रिय को अनेतरण फीस निक्षिप्त की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधि कोई कीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- 8. रहेत नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज आन्तरिक / बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- 9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरिभरांधि या उसके उल्लांघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तो का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सिन्नर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेगें, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिडयूल्ड बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

लीजधारक के हस्ताक्षर

W.

प्रभारी अधिकार नियमन नगर सुधार न्यास, अजमेर आज दिनांक 26 माह October सन् 2012 को 15:00 बजे श्री / श्रीमती / सुश्री KANHAIYA LAL PURSWANI पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री RAM CHAND PURSWANI उम्र 54 वर्ष, जाति SINDHI व्यवसाय BUS निवासी VAISHALI NAGAR AJMER ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

Darwyn

(2012009305)

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

हस्ताक्षर उप पंजीयक, AJMER-2

(LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))

रसीद नं0 2012009971 दिनांक 26/10/2012 पंजीयन शुल्क रू० 2060/— प्रतिलिपि शुल्क रू० 300/— पृष्ठांकन शुल्क रू० 0/— अन्य शुल्क रू० 1030/— कमी स्टाम्प शुल्क रू० 10290/— कुल योग रू० 13680/—

M

(2012009305) उप पंजीयक, AJMER-2 (LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))



परिशिष्ट

	कस्य का नाम अजमेर पूर्वपश्चिमभूखण्ड की संख्या यदि कोई हो
	राजस्य ग्राम
	योजना का नाम अर्था १ रिस्टर साम की नाम क
	विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल
	वर्गगृज़ / मीटर
	र अपने हस्ताक्षर कर दिये है।
	नगरीय निकाय की ओर से
	आज सन् 20.12 के माह ७१ के १/ वे दिन नगर निकाय प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम नगर निकाय
	श्री (प्रभारी अधिकारी नियमन) । अपने ।
	$\mathcal{L}_{\mathcal{L}}$
	(रथान) में हस्ताक्षर किये –
	साक्षी:-
)	1. नाम
	पुत्र श्री रेप्पर्क उट्गाल्प र
	व्यवसाय
	निवास राषा
.70	व्यवसाय निवास स्थानः साक्षी , युन्
	पुत्र श्री
	31 31
	व्यवसाय साक्षी
-	निवास स्थान साक्षी
- A	निवास स्थान <u>लीज धारक की ओर से</u>
1	
1	सन् 20के माह रिका भेपी
3	के विन को निम्नलिखित की उपिथिति में लीजधारक-द्वितीय पक्ष
X	खेतन श्रीके । स्वराज्य निर्माण
	लीजंधारक द्वारा कार्यालयमें हस्ताक्षर किये गये।
	साक्षी:-
	1. नाम निर्वान प्रश्नितानी
	पुत्र श्री ही श्रामन्द्र पुरस्वाना विवाद्य
	द्यातसारा विचार
	निवास स्थान Choudhary Colony, Vorshali
	2. नाम <u>देवी राज</u> पुत्र श्री <u>जेठानन्द</u> जी
	व्यवसाय रिवा
	निवास स्थान 105 1.10. (बीक्यू प्रांत के
	निवास स्थान105, 1.10. Celapy Voishali Nagari Ajmer
	(ago) Himer

उक्त श्री / श्रीमती / सुश्री (Executant) 1-KANHAIYA LAL PURSWANI /RAM CHAND (da Lugas Age:54, Caste-SINDHI Ocu.-BUS R/O-VAISHALI NAGAR AJMER

2-GURNAMAL PURSWANI /PESU MAL PURSWANI







R/O-333/18 SATGURU MOHALLA AJMER (And Claimant) 1-UIT /UIT Age:0, Caste-Ocu.-R/O-UIT AJMER

Ocu.-BUSS

Age:58, Caste-SINDHI

ने लेख्यपत्र LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया। प्रतिफल राशी रू० 205611/- पूर्व में/मेरे समक्ष / मे सें रू० 205611 / - पूर्व में ---यमेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान 1. श्री/श्रीमती/सुश्री NAVEEN PURSWANI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री HIRANAND उम्र 25 वर्ष जाति SINDHI व्यवसाय BUS निवासी VAISHALI NAGAR AJMER

2. श्री/श्रीमती/सुश्री DEVIDAS पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री JETHANAND GAGWANI उम्र 52 वर्ष जाति SINDHI व्यवसाय BUSS निवासी 105 LIC OLONY AJMER ने की है जिनके

समस्त हस्ताक्षर एवं अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गयें हैं।

(2012009305) (LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA)) उप पंजीयक AJMER-2

आज दिनांक 26/10/2012 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 312 में पृष्ठ संख्या 73 क्रम संख्या 2012007766 पर पंजिबद्व किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1246 के पृष्ठ संख्या 213 से 219 पर चस्पा किया गया।




(2012009305) उप पंजीयक, AJMER-2 (LEASE DEED FOR LOCAL BÓDIES (PATTA))

आज दिनांक 26/10/2012 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 312 में पृष्ठ संख्या 73 क्रम संख्या 2012007766 पर पंजिबद्व किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1246 के पृष्ठ संख्या 213 से 219 पर चस्पा किया गया।

(2012009305) उप पंजीयक, AJMÉR-2 (LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))





कार्यालय नगर सुधार न्यास, अजमेर



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिएं उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

MERCEDE

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की राशि कि है है है अक्षरे कि लाक हिंदी के कि जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा रवीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्ती और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेगें, के एवज में नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना

्रें स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व, संबंधी स्वत्वो सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों संरक्षणों प्रतिबंधों बंधनों, शर्ते और करारों के अधीन खरीददार उपने उपयोग, उपभोग, और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

1 लीलाधीरक चगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय—समय पर हमें हेत नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के द्वियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या कि किराया) के तौर पर रूपये...!, ते कि 20 / अंकि लिंक पि विधिरण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि के आठ गुणा. के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्टूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के सदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात और विक्रय या दान या अन्यथा द्वाा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐस पुनरीक्षण या यथास्थिति , अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।

िकार्भाष्ट्री — wand

प्र

प्रभारी अधिकार नियमन प्रभारी अधिकार नियमन्त्र नगर सुधार न्यास, अजमेर ह की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगे।

4 उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल...... अन्तर्गत अनुमित दी गयी है के लिए किया जाऐगा और इस प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।

- 5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- 6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्ते और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होगे मानों प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दियाँ गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तो या किन्ही पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होगें।
- 7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवैद्वान के साथ रिजस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दुरुवाय प्रितृत किये जायेगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर के विक्रिय को अनेतरण फीस निक्षिप्त की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधि कोई कीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- 8. रहेत नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज आन्तरिक / बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- 9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरिभरांधि या उसके उल्लांघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तो का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सिन्नर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेगें, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिडयूल्ड बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

लीजधारक के हस्ताक्षर

W.

प्रभारी अधिकार नियमन नगर सुधार न्यास, अजमेर आज दिनांक 26 माह October सन् 2012 को 15:00 बजे श्री / श्रीमती / सुश्री KANHAIYA LAL PURSWANI पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री RAM CHAND PURSWANI उम्र 54 वर्ष, जाति SINDHI व्यवसाय BUS निवासी VAISHALI NAGAR AJMER ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

Darwyn

(2012009305)

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

हस्ताक्षर उप पंजीयक, AJMER-2

(LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))

रसीद नं0 2012009971 दिनांक 26/10/2012 पंजीयन शुल्क रू० 2060/— प्रतिलिपि शुल्क रू० 300/— पृष्ठांकन शुल्क रू० 0/— अन्य शुल्क रू० 1030/— कमी स्टाम्प शुल्क रू० 10290/— कुल योग रू० 13680/—

M

(2012009305) उप पंजीयक, AJMER-2 (LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))



परिशिष्ट

	कस्य का नाम अजमेर पूर्वपश्चिमभूखण्ड की संख्या यदि कोई हो
	राजस्य ग्राम
	योजना का नाम अर्था १ रिस्टर साम की नाम क
	विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल
	वर्गगृज़ / मीटर
	र अपने हस्ताक्षर कर दिये है।
	नगरीय निकाय की ओर से
	आज सन् 20.12 के माह ७१ के १/ वे दिन नगर निकाय प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम नगर निकाय
	श्री (प्रभारी अधिकारी नियमन) । अपने ।
	$\mathcal{L}_{\mathcal{L}}$
	(रथान) में हस्ताक्षर किये –
	साक्षी:-
)	1. नाम
	पुत्र श्री रेप्पर्क उट्गाल्प र
	व्यवसाय
	निवास राषा
.70	व्यवसाय निवास स्थानः साक्षी , युन्
	पुत्र श्री
	31 31
	व्यवसाय साक्षी
-	निवास स्थान साक्षी
- A	निवास स्थान <u>लीज धारक की ओर से</u>
1	
1	सन् 20के माह रिका भेपी
3	के विन को निम्नलिखित की उपिथिति में लीजधारक-द्वितीय पक्ष
X	खेतन श्रीके । स्रोतिक स्थापन नेपा
	लीजंधारक द्वारा कार्यालयमें हस्ताक्षर किये गये।
	साक्षी:-
	1. नाम निर्वान प्रश्नितानी
	पुत्र श्री ही श्रामन्द्र पुरस्वाना विवाद्य
	द्यातसारा विचार
	निवास स्थान Choudhary Colony, Vorshali
	2. नाम <u>देवी राज</u> पुत्र श्री <u>जेठानन्द</u> जी
	व्यवसाय रिवा
	निवास स्थान 105 1.10. (बीक्यू प्रांत के
	निवास स्थान105, 1.10. Celapy Voishali Nagari Ajmer
	(ago) Himer

उक्त श्री / श्रीमती / सुश्री (Executant) 1-KANHAIYA LAL PURSWANI /RAM CHAND (da Lugas Age:54, Caste-SINDHI Ocu.-BUS R/O-VAISHALI NAGAR AJMER

2-GURNAMAL PURSWANI /PESU MAL PURSWANI







R/O-333/18 SATGURU MOHALLA AJMER (And Claimant) 1-UIT /UIT Age:0, Caste-Ocu.-R/O-UIT AJMER

Ocu.-BUSS

Age:58, Caste-SINDHI

ने लेख्यपत्र LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया। प्रतिफल राशी रू० 205611/- पूर्व में/मेरे समक्ष / मे सें रू० 205611 / - पूर्व में ---यमेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान 1. श्री/श्रीमती/सुश्री NAVEEN PURSWANI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री HIRANAND उम्र 25 वर्ष जाति SINDHI व्यवसाय BUS निवासी VAISHALI NAGAR AJMER

2. श्री/श्रीमती/सुश्री DEVIDAS पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री JETHANAND GAGWANI उम्र 52 वर्ष जाति SINDHI व्यवसाय BUSS निवासी 105 LIC OLONY AJMER ने की है जिनके

समस्त हस्ताक्षर एवं अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गयें हैं।

(2012009305) (LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA)) उप पंजीयक AJMER-2

आज दिनांक 26/10/2012 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 312 में पृष्ठ संख्या 73 क्रम संख्या 2012007766 पर पंजिबद्व किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1246 के पृष्ठ संख्या 213 से 219 पर चस्पा किया गया।




(2012009305) उप पंजीयक, AJMER-2 (LEASE DEED FOR LOCAL BÓDIES (PATTA))

आज दिनांक 26/10/2012 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 312 में पृष्ठ संख्या 73 क्रम संख्या 2012007766 पर पंजिबद्व किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1246 के पृष्ठ संख्या 213 से 219 पर चस्पा किया गया।

(2012009305) उप पंजीयक, AJMÉR-2 (LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))





[25/3] 25/3]

कार्यालय नगर सुधार न्यास, अजमेर

क्रमांक : 2

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर—कृषिक प्रयोजन के लिएं उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

MERCEDES

(जिनको इकसे बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत के जहाँ कही प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीप्तियम तथा विकास शुल्क की राशि अप किए अक्षरे कि प्राची हुं हैं और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायगें, के एवज में नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना किया गया है)

के खसरा नम्बर <u>डि</u> (१) के जिल्ला के खसरा नम्बर <u>डि</u> (१) कि है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिष्ठिट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व, संबंधी स्वत्वो सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों संरक्षणों प्रतिबंधों बंधनों, शर्ते और करारों के अधीन खरीददार उपने उपयोग, उपभोग, और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात और विक्रय या दान या अन्यथा द्वाा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐस पुनरीक्षण या यथास्थिति , अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।

लीजधारक के हस्ताहर

D

प्रभारी अधिकारी नियमन नगर सुधार नग्रास, अज्ञय प्रभारी अधिकार नियमन

नगर सुधार न्यास, अजमेर

क्टरे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगे।

4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल कि १९ १८० प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमित दी गयी है के लिए किया जाऐगा और इस प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।

- 5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम—26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- 6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्ते और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होगे मानों प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है. या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्ही पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होगें।
 - 7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रिजस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

8. र्ज़्न के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या व्याज अधिनियम प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन सू—राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।

9. बिश्चावंदन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरिभसंधि या उसके उल्लांघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तो का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सिहत उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभारों से रिहत नगर निकाय में निहित समझे जायेगें, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिडयूल्ड बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

्रिक्री के हस्ताक्षर

प्रभारी अधिकार नियमन नगर सुधार न्यास, अजमेर आज दिनांक 26 माह October सन् 2012 को 15:00 बजे श्री/श्रीमती/सुश्री KANHAIYA LAL PURSWANI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM CHAND PURSWANI उम्र 54 वर्ष, जाति SINDHI व्यवसाय BUS निवासी VAISHALI NAGAR AJMER ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

(K)al styl

हस्ताक्षर प्रस्तृतकर्ता (2012009308)

हस्ताक्षर उप पंजीयक, AJMER-2

(LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))

रसीद नं0 2012009974 दिनांक 26/10/2012 पंजीयन शुल्क रू० 1550/-प्रतिलिपि शुल्क रू० 300/-पृष्ठांकन शुल्क रू० ०/-अन्य शुल्क रू० 780/-कमी स्टाम्प शुल्क रू० 7720/-कुल योग रू० 10350/-

(2012009308) उप पंजीयक, AJMER-2 (LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))



परिशिष्ट

करवे का नाम अजमेर पूर्व		
र १९५० गरीकन न इसक बाद प्रत	येक दशा में निर्देशित स्थान	नों और तारिखों पर अपने हम्बाध्य 🖚 🗘 🔌
	THE WASHINGTON THE	न वर जपरा हस्ताक्षर कर दिये है।
<u>नगरा</u>	य निकाय की ओर	H M
आज सन् 20.12 के माह 1 के के श्री की कि जिल्हा के किये –		नगर निकाय – प्रथम पक्ष (प्रभारी अधिकारी नियमन) नगर सुधार न्यास, अजमेर
साक्षी:-		S with story
पादा। :- 1. नाम पुत्र श्री व्यवसाय		
पुत्र आ हिल्ली	"Q" (302 000 000
.व्यवसाय		
त्यवसाय		साक्षी
पुत्र श्री प्रतायक्षाय क्रिकायक अपूर्ण के प्रतायक अपूर्ण अपूर्ण के प्रतायक अपूर के प्रतायक अपूर्ण के प्रतायक अपूर्ण के प्रतायक अपूर्ण के प्रतायक अपूर्ण के	MZ	
निवास स्वान	धारक की ओर से	साक्षी
आज		
केवे दिन को निम्नलिखित की उपि उक्त श्री	·············	लीजधारक-द्वितीय पक्ष
उक्त श्री	धिति में	नीजिल्लाम कि
िरीज्यान —		लाजवारक—।द्वताय पक्ष
ीजधारक द्वारा कार्यालयमें हस	जाक्षर किये गये।	
साक्षी :-	2-2-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-	
साक्षी:- 1. नाम <u>प्रवास प्रश्निकार</u> पुत्र श्री हिशानक प्रश्ने	6	
34 21 ES/2005 255014		Daves
व्यवसाय	***************************************	
निवास स्थान ट्रांब्यके कालाती, वेहाली र	खारे. अपन्त	साक्षी
2. नाम		
पत्र श्री	•••••	
2. नाम द्वारकात्रन पुत्र श्री फेट्राइक द ज		erids &
निवास स्थान १००		77704
निवास स्थान 105. LIC Vailed: 120go.	Ajoh	साक्षी

उक्त श्री / श्रीमती / सुश्री (Executant)
1-KANHAIYA LAL PURSWANI /RAM CHAND
PURSWANI
Age:54, Caste-SINDHI
Ocu.-BUS
R/O-VAISHALI NAGAR AJMER

Karhoule





2-GURNAMAL PURSWANI /PESU MAL PURSWANI Age:58, Caste-SINDHI Ocu.-BUSS R/O-333/18 SATGURU MOHALLA AJMER

图



(And Claimant) 1-UIT /UIT Age:0, Caste-Ocu.-R/O-UIT AJMER

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान

1. श्री/श्रीमती/सुश्री NAVEEN PURSWANI
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री HIRANAND उम्र 25 वर्ष
जाति SINDHI व्यवसाय BUS
निवासी VAISHALI NAGAR AJMER

2. श्री / श्रीमती / सुश्री **DEVI DAS** पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री **JETHANAND GAGWANI** उम्र **52** वर्ष जाति **SINDHI** व्यवसाय **BUSS** निवासी **105** LIC OLONY AJMER ने की है जिनके

समस्त हस्ताक्षर एव अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गयें हैं।

Jew Mig



(2012009308) उप पंजीयक, AJMER-2 (LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))

> 26/10/20/2 312-I Succion 312-277 2012007770 1246
>
> 247 247
>
> Welliam vall 1



आज दिनांक 26/10/2012 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 312 में पृष्ठ संख्या 77 क्रम संख्या 2012007770 पर पंजिबद्व किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1246 के पृष्ठ संख्या 241 से 247 पर चस्पा किया गया।

(2012009308) उप पंजीयक, AJMER-2 (LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))



P.NO.11

P.SITE PLAN

P.SITE P.NO.7

P.SITE P.NO.8

P.NO.7

NOTE:-

- 1 TOTAL AREA OF PLOT 35'-0" X 70'-0"=272.22SQ.YDS/22766
- 2 MIN.SET BACKS:- 15 10' 10'
- 3 COVERAGE = WITHIN SET BACKS
- 4 F.A.R. = AS ACHIEVED
- 5 HEIGHT MAX.G+2(12.0M)
- 6 PROPOSED SITE SHOWN IN RED

ALL BUILDING BYELAES 2010 WILL BE APPLICABLE



(Parling

Er. Sunil Kumar Jain
B.E. Civil
APPROVED ARCHITECT
Acme Architects & Builders
Shantipura, A.C.R., AJMER

Ph: 9414002256, 2424456

M.

सहायुक्त नगर नियोजक

APPLICANT

ARCHITECT

SURVEYOR

THE THAT TOWN PLANTER - 30:

711

RESEDENTIAL SITE PLAN OF PLOT NO.8,IN PART OF KH.NO. 547,550 TO 555,557 & 558, REV.VILLAGE KOTRA,AJMER. BELONGING TO SH.GURNAMAL S/O SH.PESUMAL & SH.KANHIYALAL S/O RAMCHAND PURSWANI

SCALE :- 1"=20'-0"

कायोलय नगर सुधार न्यास, अजमेर राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिएं उपयोग की अनुज्ञा

और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष 2012 के माह 09 के 26 वे दिन नगर सुधार न्यास, अजमेर प्रथम पक्ष एवं सु. श्री/श्रीशक्तरेशाला प्रक्रमार्गर विश्वामान पुत्र/पुत्री श्रीकृत के प्रक्रमाल प्रक्रमाल पुत्र पुत्री श्रीकृत के प्रक्रमाल जाति हिन्दू

निवासी में ते 62 मती के 2, ट्रांच्यी कें जाने, व्याप्त कार्य संग्रह, अंग्रह,



(जिनको इकसे बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहाँ के प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, के मध्य निष्पादित हुआ है

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की राशि.../() 757/ अक्षरे किलाव र्जाहरणार मार्ग भविजी लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर . दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तो और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेगें, के एवज में नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना 🔑 🖟

राजस्व ग्राम /९०१२९ के खसरा नम्बर ८५७, ५ ७ ५५ ५७ अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व, संबंधी स्वत्वो सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों संरक्षणों प्रतिबंधों बंधनों, शर्ते और करारों के अधीन खरीददार उपने इपयोग, उपभोग, और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

ने, लेजिंबारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर म हेतू नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या महिन्दी किराया) के तौर पर रूपये 1 61,757/ अंक अपि डिम्फि हम्म हिन्दी पेशागी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्कप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किरावा प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात और विक्रय या दान या अन्यथा द्वाा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐस पुनरीक्षण या यथास्थिति , अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।

प्रभारी अधिकार् क्रियान, अवका नगर सुधार न्यांस, अजमेर

वंट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगे।

4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल कि श्रिक्त कि प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमित दी गयी है के लिए किया जाऐगा और इस प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।

5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।

6. लीजधारक उक्त भूखंण्ड को आगे और अन्तरित या उप—पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्ते और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिकी या उप—पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होगे मानों प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है। लीजधारक द्वारा उप—पट्टे की कालाविध स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालाविध से अधिक नहीं होगी। उप—पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तो या किन्ही पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होगें।

7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रिजस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के प्रामिन की प्रभारित नहीं की जायेगी।

हैं उक्ता प्रियमों क्षेत्र अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या व्याज अन्तरिक कोह्यू विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन भू-राजस्व क्रिकेंकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।

9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरिभसंधि या उसके उल्लांघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तो का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सिन्नर्माण सिहत उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभारों से रिहत नगर निकाय में निहित समझे जायेगें, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिडयूल्ड बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

िर्जा के हस्ताक्षर

M

प्रमारी अधिकार नियमन नगर सुधीर न्यास, अजमेर आज दिनांक 26 माह October सन् 2012 को 15:00 बजे श्री/श्रीमती/सुश्री KANHAIYA LAL PURSWANI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM CHAND PURSWANI उम्र 54 वर्ष, जाति SINDHI व्यवसाय BUS निवासी VAISHALI NAGAR AJMER ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

Warwigh

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता (2012009309)

हस्ताक्षर उप पंजीयक, AJMER-2

(LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))

रसीद नं0 2012009975 दिनांक 26/10/2012 पंजीयन शुल्क रू० 1700/— प्रतिलिपि शुल्क रू० 300/— पृष्ठांकन शुल्क रू० 0/— अन्य शुल्क रू० 850/— कमी स्टाम्प शुल्क रू० 8500/— कुल योग रू० 11350/—

M

(2012009309) उप पंजीयक, AJMER-2 (LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))



परिशिष्ट

नाजाा का नान	पूर्वपश्चिमपश्चिम.सीमा उत्तर	भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो दक्षिणमान्चित्र संलग्न है	25.
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल	(5)	249	
इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन	ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित	रियानों और तारिखों पर अपने हस्ताक्षर कर दिये है	1
	नगरीय निकाय की आ		
आज सन् 20.1.2 के माह श्री	50141	नगर निकाय प्रभाग पक्षा जार (प्रभारी अधिकारी नियमन)	
(स्थान) में हस्ताक्षर किये –	ने निम्न उपस्थिति में	नगर सुधार न्यास, अजमेर	
साक्षी :			
1. नाम			
व्यवसाय निवास स्थानः 💯 🎉		साक्षी	
2. नाम पुत्र श्री कार्यक्	mey		
पुत्र श्री कार्या रिक्र	र्गराखान १		•
	Strain Line History	साक्षी	
THE THE STREET	लीज धारक की ओर	#	
के विस्तृति निम्तृति	के माह	Karlige	ž.
उक्त श्री	लेखित की उपस्थिति में	लीजधारक-द्वितीय पक्ष	
लीजधारक द्वारा कार्यालय	में हस्ताक्षर किये गरं	ì.	
साक्षी :-	Λ	*	
1. नाम ज्वीन पुर	अवानी		
पुत्र श्री	पुर्वानी	(Nauces	••
निवास स्थान Choudhary	Colony Vorshall Magas	साक्षी.	
2. नाम	बीट्टाम	Davidson 4	
पुत्र श्री भे ठा नन्द्र व्यवसाय फिळ	<u>ul</u>	Denidm' >	•••
निवास स्थान 105, 214	(olony Vaiolal Na	साक्षी	
	man Vous hay ray of		

Karligel

उक्त श्री / श्रीमती / सुश्री (Executant) 1-KANHAIYA LAL PURSWANI /RAM CHAND PURSWANI

Age:54, Caste-SINDHI

Ocu.-BUS

R/O-VAISHALI NAGAR AJMER

2-GURNAMAL PURSWANI /PESU MAL PURSWANI Age:58, Caste-SINDHI Ocu.-BUSS

RIO 333/18 SATGURU MOHALLA AJMER

(And Claimant

(And Claimant) 1-UIT /UIT Age:0, Caste-Ocu.-R/O-UIT AJMER

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान

1. श्री / श्रीमती / सुश्री NAVEEN PURSWANI
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री HIRANAND उम्र 25 वर्ष
जाति SINDHI व्यवसाय BUS
निवासी VAISHALI NAGAR AJMER

2. श्री / श्रीमती / सुश्री DEVI DAS पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री JETHANAND GAGWANI उम्र 52 वर्ष जाति SINDHI व्यवसाय BUSS निवासी 105 LIC OLONY AJMER ने की है जिनके

समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गयें हैं।


(2012009309) (LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))

भाज दिनांक 26/10/2012 को पुस्तक संख्या 1 जिल्ह संख

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 312 में पृष्ठ संख्या 78 क्रम संख्या 2012007771 पर पंजिबद्व किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1246 के पृष्ठ संख्या 248 से 254 पर चस्पा किया गया।

0

(2012009309) उप पंजीयक, AJMER-2 (LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))












आज दिनांक 26/10/2012 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 312 में पृष्ठ संख्या 78 क्रम संख्या 2012007771 पर पंजिबद्व किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1246 के पृष्ठ संख्या 248 से 254 पर चस्पा किया गया।



(2012009309) उप पंजीयक, AJMER-2 (LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))



SITE PLAN



NOTE:-

1 TOTAL AREA OF PLOT = 299.5550 YDS/250.455Q.M

2 MIN.SET BACKS:- 15' 10' 10' 10' 3 COVERAGE = WITHIN SET BACKS

4 F.A.R. = AS ACHIEVED

5 HEIGHT MAX.G+2(12.0M)

6 PROPOSED SITE SHOWN IN RED

ALL BUILDING BYELAES 2010 WILL BE APPLICABLE

B.E. Civil APPROVED ARCHITECT Acme Architects & Builders Shantipura, A.C.R., AJMER

Ph: 9414002256, 2424456

सहायकं नगर नियोजक

APPLICANT

ARCHITECT

SURVEYOR

नगर सुरुद्धार TOWAT PLANNER - 305006

RESEDENTIAL SITE PLAN OF PLOT NO.9, IN PART OF KH.NO. 547,550 TO 555,557 & 558, REV.VILLAGE KOTRA,AJMER. BELONGING TO SH.GURNAMAL S/O SH.PESUMAL & SH.KANHIYALAL S/O RAMCHAND PURSWANI

SCALE :- 1"=20'-0"

कार्यालय नगर सुधार न्यास, अजमेर

क्रमांक : .4...

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष 2112 के माह 19 के 26 वे दिन नगर सुधार न्यास, अजमेर प्रथम पक्ष एवं सु श्री/श्री। कर्मशालाल प्रक्रवाल डी॰ शालान पुत्र पुत्री श्रीकृत बारक बारक प्रक्रवाल डी॰ शालान पुत्र पुत्री श्रीकृत बारक बारक प्रक्रवाल डी॰ शालान जात है। जाती का 2, न्यांका के क्षेत्रक जाति किया है। अपने किया के क्षेत्रक उत्तर के क्षेत्रक के के क्षेत्रक के के क्षेत्रक के क्षेत्रक के क्षेत्रक के क्षेत्रक के क्षेत्रक के के क्षेत्रक के क्षेत्रक के क्षेत्रक के क्षेत्रक के क्षेत्रक के क्षेत्र

(जिनको इकसे बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस ईबाइत में जहां कही पसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, के मध्य निष्पादित हुआ है।

सेत्रफल १ ५८ १ में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व, संबंधी स्वत्वो सहित किन्तु निर्मिलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों संरक्षणों प्रतिबंधों बंधनों, शर्ते और करारों के अधीन खरीददार उपने अपयोद्धी उपभोग, और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

मिया के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय—समय पर इसे हितु नियंत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के चियम, 20 के उप—नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या) भूम का किराया) के तौर पर रूपये कि द्वारी कि वाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमीबन्दी या भूम का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि के आठ गुणा, के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्क्प लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात और विक्रय या दान या अन्यथा द्वाा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐस पुनरीक्षण या यथास्थिति , अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।

लीजधारक के हस्ताक्षर

M

प्रभारी अधिकार निर्धमन नगर सुधार न्यास, अजमेर आज दिनांक 26 माह October सन् 2012 को 15:00 बजे श्री /श्रीमती / सुश्री KANHAIYA LAL PURSWANI पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री RAM CHAND PURSWANI उम्र 54 वर्ष, जाति SINDHI व्यवसाय BUS निवासी VAISHALI NAGAR AJMER ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

Blanny

M

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता (2012009307)

हस्ताक्षर उप पंजीयक, AJMER-2

(LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))

रसीद नं0 2012009973 दिनांक 26/10/2012 पंजीयन शुल्क रू० 1420/— प्रतिलिपि शुल्क रू० 300/— पृष्ठांकन शुल्क रू० 0/— अन्य शुल्क रू० 710/— कमी स्टाम्प शुल्क रू० 7060/— कुल योग रू० 9490/—



(2012009307) उप पंजीयक, AJMER-2 (LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))



वंट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगे।

4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल... ति. १९१८ मी प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमित दी गयी है के लिए किया जाऐगा और इस प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।

5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम—26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।

6. लीजधारक उक्त भूखंण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्ते और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होगे मानों प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है. या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नही होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तो या किन्ही पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होगें।

7. उंक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रिजस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अनुत्रस्था फीस निक्षिप्त की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधूरम कोई कि प्रभारित नहीं की जायेगी।

8. जिल्ला नियमी के खंधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज आन्तिरिक बाहुय विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन भू-राजस्व के बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।

9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरिभसंधि या उसके उल्लांघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तो का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सिन्नर्माण सिहत उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभारों से रिहत नगर निकाय में निहित समझे जायेगें, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिडयूल्ड बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

तिक पिपूर्

क्री अधिकारी निष्यान प्रमासी अधिकार नियमन नगर सुधार न्यास, अजमेर

उप पंजीयक अजमेर हैं

परिशिष्ट

योजना का नामविस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल	भूखण्ड की संख्या यदि कोई होम् दक्षिणमानचित्र संलग्न है।
वर्गगज / मीटर भे ८०० कि ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित र	ध्यानों और तारिखों पर अपने हस्ताक्षर कर दिये है।
नगरीय निकाय की ओ	- । । नियमन
आज सन् 20	नगर निकाय प्रथम पक्ष (प्रभारी अधिकारी नियमन) नगर सुधार न्यास, अजमेर
राक्षी :-	
1 नाम ~	
पुत्र श्री	O Lines
.994119	साक्षी
निवास स्थान	
2. नाम	
पुत्र श्री क्षि कि कि कि	
व्यवसाय	साक्षी
निवास स्थान.	
लीज धारक की ओर	#
भूज सन् 20के माह	Renhighly
केवे को निम्नलिखित की उपस्थिति में	लीजधारक–द्वितीय पक्ष
प्रवित्ते श्री	
लीजधारक द्वारा कार्यालयमें हस्ताक्षर किये गये	
साक्षी :- १	
1. नाम क्यांका उर्जाती	
पुत्र श्री द्रिश्रक्त पुरुक्तार्थ	(Naues
व्यवसाय किल्ली जाना आजार अजार कार्य अजार	साक्षी
निवास स्थान द्राह्म अलाजा, अलाजा जागर अंजार	
2. नामदेखादावन	1 4 -
43 811081306 145	Denich y
व्यवसाय जिया । १९८८ विकासी विकासी हो ।	, साक्षी
निवास स्थान (७६, ЦС व्यावार्त वेज्ञाची गार	
3/vins	

उक्त श्री / श्रीमती / सुश्री (Executant) 1-KANHAIYA LAL PURSWANI /RAM CHAND PURSWANI Age:54, Caste-SINDHI Ocu.-BUS R/O-VAISHALI NAGAR AJMER

Randigue

2-GURNAMAL PURSWANI /PESU MAL PURSWANI Age:58, Caste-SINDHI Ocu. BUSS R/Q-333/18 SATGURU MOHALLA AJMER

(And Claimant) 1-UIT /UIT Age:0, Caste-Ocu.-R/O-UIT AJMER

ने लेख्यपत्र LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया। प्रतिफल राशी रू० 141115/— पूर्व में / मेरे समक्ष / मे सें रू० 141115/—पूर्व में ——————यमेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान

1. श्री/श्रीमती/सुश्री NAVEEN PURSWANI
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री HIRANAND उम्र 25 वर्ष
जाति SINDHI व्यवसाय BUS
निवासी VAISHALI NAGAR AJMER

2. श्री/श्रीमती/सुश्री DEVI DAS पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री JETHANAND GAGWANI उम्र 52 वर्ष जाति SINDHI व्यवसाय BUSS निवासी 105 LIC OLONY AJMER ने की है जिनके

समस्त हस्ताक्षर एवं अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गयें हैं।

(2012009307) उप पंजीयक, AJMER-2 (LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))

आज दिनांक 26/10/2012 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 312
में पृष्ठ संख्या 75 क्रम संख्या 2012007768 पर
पंजिबद्व किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1246
को पृष्ट संख्या 227 से 233 पर
चस्पा किया गया।

M

(2012009307) उप पंजीयक, AJMER-2 (LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))









Monday

Dem








आज दिनांक 26/10/2012 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 312 में पृष्ठ संख्या 75 क्रम संख्या 2012007768 पर पंजिबद्व किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1246 के पृष्ठ संख्या 227 से 233 पर चस्पा किया गया।



(2012009307) उप पंजीयक, AJMER-2 (LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))





NOTE:-

- 1 TOTAL AREA OF PLOT 35'-0" X 71'-6"+56'-6" /2 =248.88SQ.YDS/208.10SQ.M
- 2 MIN.SET BACKS:- 15' 10' 10'
- 3 COVERAGE = WITHIN SET BACKS
- 4 F.A.R. = AS ACHIEVED
- 5 HEIGHT MAX.G+2(12.0M)
- 6 PROPOSED SITE SHOWN IN RED

ALL BUILDING BYELAES 2010 WILL BE APPLICABLE

Washi gry

Er. Sunil Kumar Jain
B.E. CIVII
APPROVED ARCHITECT
Acme Architects & Builders

Shantipura, A.C.R., AJMER Ph: 9414002256, 2424456 Pople

m) राहायुक नगर नियोजक

APPLICANT

ARCHITECT

SURVEYOR

AST. TOWN PLANNER Y- 305006

N

RESEDENTIAL SITE PLAN OF PLOT NO.10,IN PART OF KH.NO. 547,550 TO 555,557 & 558, REV.VILLAGE KOTRA,AJMER. BELONGING TO SH.GURNAMAL S/O SH.PESUMAL & SH.KANHIYALAL S/O RAMCHAND PURSWANI

SCALE :- 1"=20'-0"

कार्यालय नगर सुधार न्यास, अजमेर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष 20/2 के माह 09 के 21 वे दिन नगर सुधार न्यास, अजमेर प्रथम पक्ष एवं सु. श्री/श्री क्रिक्ट्रेश जात प्रश्निक डि. जातम्बर पुत्र/पुत्री श्रीक्ट्रेश पुरताम है रिस्पार्व के प्रयान जाति हिन्द निवासी क्रिक्ट के अलगे के 2, जातम के 2, जातम के 2, जातम क्रिक्ट के अलगे क्रिक्ट के अलगे के 333/18, अतम्बर के हिल्ला अवसे के 333/18, अतम्बर के हिल्ला अवसे के 333/18, अतम्बर के हिल्ला अवसे के 333/18, अतम्बर के हिल्ला क्रिक्ट के 333/18, अतम्बर के हिल्ला क्रिक्ट के 333/18, अतम्बर के

MEKCEB ...

(जिनको इकसे बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबार्ने में जहां प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, के मध्य निष्पादित हुआ

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की राशि 165,899. अक्षरे अक्षरे जिए कि कि कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की राशि 165,899. अक्षरे जिए कि कि कि कि कि कि की जी लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर ते गई है और जिसकी रसीद नगर निकीय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्ती और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेगें, के एवज में नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना.

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय—समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप—नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये 1 (5 8 99 - अंके 2 - अंके

बिक्रय या दान या अन्यथा द्वाा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐस पुनरीक्षण या यथारिथित , अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।

लीजधारक के हस्ताक्षर

प्रभारी अक्रिक्स है। युद्ध नगर सुधार न्यास, अजमेर

बट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगे।

- 5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम—26 के अन्तर्गत बढा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- 6. लीजधारक उक्त भूखंण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्ते और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सिहत, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होगे मानों प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है, या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालाविध स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालाविध से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तो या किन्ही पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होगें।
- 7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रिजस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- 8 उबत, नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज आन्तरिक / बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन भू रोजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- 9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरिभसंघि या उसके उल्लांघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तो का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सिन्नर्माण सिहत उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभारों से रिहत नगर निकाय में निहित समझे जायेगें, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।
 - 10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिडयूल्ड बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

िन्मांपूर्य लीजधारक के हस्ताक्षर

प्रभारीमअधिकार निर्मित्रकार प्रभारीमअधिकार निर्मित्रकार नगर सुधार न्यास, अजमेर

अज्ञीर दितीय

आज दिनांक 26 माह October सन् 2012 को 15:00 बजे श्री/श्रीमती/सुश्री KANHAIYA LAL PURSWANI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM CHAND PURSWANI उम्र 54 वर्ष, जाति SINDHI व्यवसाय BUS निवासी VAISHALI NAGAR AJMER ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

हस्ताक्षर उप पंजीयक, AJMER-2

(2012009306)

(LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))

रसीद नं0 2012009972 दिनांक 26/10/2012 पंजीयन शुल्क रू० 1750/— प्रतिलिपि शुल्क रू० 300/— पृष्ठांकन शुल्क रू० 0/— अन्य शुल्क रू० 880/— कमी स्टाम्प शुल्क रू० 8710/— कुल योग रू० 11640/—

M

(2012009306) उप पंजीयक, AJMER-2 (LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))



परिशिष्ट

करवे का नाम अजमेर पूर्व राजस्व ग्राम १०००९ सीमा उत्त योजना का नाम विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गमुज मीटर १०००, २० इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्र	द	MILA MARIKU LIKHERA PORTA SA	含1
<u>नगर</u>	यि निकाय की ओर		
आज सन् 20 के माह <u>१</u> १ के शि श्री ५५ ५०५५ ने निम्न (स्थान) में हस्ताक्षर किये —	उपस्थिति में	नगर चिकायध्यः प्रथम पक्ष (प्रभारी अधिकारी नियमन) नगर सुधार न्यास, अजमेर	
साक्षी :-			
1 नाम पुत्र श्री व्यवसाय		साक्षी	
2. नाम	h2	साक्षी	
लीव आक्रिक्ट सन् 20के माह केवे दिन को निम्नलिखित की स्	ज धारक की ओर से इ	Bar high	
उक्त श्री		लीजधारक—द्वितीय पक्ष	
साक्षी:- 1. नाम अवाज प्रश्नाकी पुत्र श्री रिञाक्य प्रश्नाकी			
व्यवसाय स्थित कालाती, वजार		PQuees साक्षी	••••
2. नाम ट्रेट्स्टरज पुत्र श्री जिक्क		Denich yanus	`
व्यवसाय डिश १८ ८ ८ ८ ८ ८ ८ ८ ८ ८ ८ ८ ८ ८ ८ ८ ८ ८ ८	Nagar Africa	सांकी	
			-

उक्त श्री / श्रीमती / सुश्री (Executant)
1-KANHAIYA LAL PURSWANI /RAM CHAND
PURSWANI
Age:54, Caste-SINDHI
Ocu.-BUS
R/O-VAISHALI NAGAR AJMER

Karly

2-GURNAMAL PURSWANI /PESU MAL PURSWANI Age:58, Caste-SINDHI Qcu.-BUSS

R/O-333/18 SATGURU MOHALLA AJMER

(And Claimant)
1-UIT /UIT
Age:0, CasteOcu.R/O-UIT AJMER

ने लेख्यपत्र LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया। प्रतिफल राशी रू० 174193/— पूर्व में/मेरे समक्ष/मे सें रू० 174193/—पूर्व में —————— यमेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान 1. श्री/श्रीमती/सुश्री NAVEEN PURSWANI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री HIRANAND उम्र 25 वर्ष जाति SINDHI व्यवसाय BUS निवासी VAISHALI NAGAR AJMER

श्री/श्रीमती/सुश्री DEVI DAS
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री JETHANAND GAGWANI उम्र 52 वर्ष
जाति SINDHI व्यवसाय BUSS
निवासी 105 LIC OLONY AJMER ने की है जिनके

समस्त हस्ताक्षर एवं अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गयें हैं।

(2012009306) (LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))

आज दिनांक 26/10/2012 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 312 में पृष्ठ संख्या 74 क्रम संख्या 2012007767 पर पंजिबद्व किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1246 के पृष्ठ संख्या 220 से 226 पर

(2012009306) उप पंजीयक, AJMER-2 (LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))
















आज दिनांक 26/10/2012 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 312 में पृष्ठ संख्या 74 क्रम संख्या 2012007767 पर पंजिबद्घ किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1246 के पृष्ठ संख्या 220 से 226 पर चस्पा किया गया।

(2012009306) उप पंजीयक, AJMER-2 (LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))





NOTE:-

1 TOTAL AREA OF PLOT 35'-0" X 71'-6"+86'-6" /2 =307.22SQ.YDS/256.87SQ.M

2 MIN.SET BACKS:- 15' - 10' 10'

3 COVERAGE = WITHIN SET BACKS

4 F.A.R. = AS ACHIEVED

5 HEIGHT MAX.G+2(12.0M)

6 PROPOSED SITE SHOWN IN RED

ALL BUILDING BYELAES 2010 WILL BE APPLICABLE

B.E. Civil

APPROVED ARCHITECT Acme Architects & Builders

Shantipura, A.C.R., AJMER Ph: 9414002256, 2424456

सहायक नगर नियोजक नगर सुधार न्यास. अजमेर- 305006

APPLICANT

ARCHITECT

SURVEYOR

AST.TOWN PLANNER

RESEDENTIAL SITE PLAN OF PLOT NO.11, IN PART OF KH.NO. 547,550 TO 555,557 & 558, REV. VILLAGE KOTRA, AJMER. BELONGING TO SH.GURNAMAL S/O SH.PESUMAL & SH.KANHIYALAL S/O RAMCHAND PURSWANI

SCALE :- 1"=20'-0"

कार्यालय नगर सुधार न्यास, अजमेर क्रमांक

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर—कृषिक प्रयोजन के लिएं उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख



(जिनको इकसे बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहा प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियन तथा विकास शुल्क की राशि 5, प्र. ने निर्माण अक्षरे जो लिजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निर्काय के द्वारा रवीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तो और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेगें, के एवज में नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना किया

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये... अने प्राप्त अंके पान लाजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि के आठ गुणा. के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्टूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात और विक्रय या दान या अन्यथा द्वाा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐस पुनरीक्षण या यथास्थिति , अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।

लीजधारक के हरताक्षर

D

प्रभागे र्धि हारी निका प्रभागे अधिकार् कि स्मृत्मे नगर सुधार न्यास, अजमेर

वेर द्वितीय

दूरे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगे।

4. उंक्त भूखण्ड का उपयोग केवल....हुन्य क्रिक्स प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमित दी गयी है के लिए किया जाऐगा और इस प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।

5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम—26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।

6. लीजधारक उक्त भूखंण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्ते और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होगे मानों प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है, या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नही होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्ती या किन्ही पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होगें।

7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रिजस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज . आन्तरिक / बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन भू—राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।

9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरिभसंधि या उसके उल्लांघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तो का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सिन्निर्माण सिंहत उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेगें, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10 इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिडयूल्ड बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

्रिकाशियु लीजधारक के हस्ताक्षर

M G-S प्रभारी अधिकार नियमन नगर सुधार न्यास, अजमेर आज दिनांक 26 माह October सन् 2012 को 15:00 बजे श्री/श्रीमती/सुश्री KANHAIYA LAL PURSWANI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM CHAND PURSWANI उम्र' 54 कर्ष, जाति SINDHI व्यवसाय BUS निवासी VAISHALI NAGAR AJMER ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता (2012009311)

हस्ताक्षर उप पंजीयक, AJMER-2

(LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))

रसीद नं0 2012009977 दिनांक 26/10/2012 पंजीयन शुल्क रू० 5770/— प्रतिलिपि शुल्क रू० 300/— पृष्ठांकन शुल्क रू० 0/— अन्य शुल्क रू० 2890/— कमी स्टाम्प शुल्क रू० 28830/— कुल योग रू० 37790/—

N

(2012009311) उप पंजीयक, AJMER-2 (LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))

परिशिष्ट

करवे की नाम अजमर	पूर्वपश्चिम	भूखण्ड की संख्या यदि कोई	-
राजस्व ग्राम14017	सीमा उत्तर	दक्षिणमानचित्र र	قا آگست
योजना का नाम		नानायत्र स	ालाम ह।
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल		Total Control of Mariana	
वर्गगज / मीटर 1010.0) I		
इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन	ने ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशिक	त स्थानों और तारिखों पर अपने हस्ताक्षर क	- 61 1
			र ।दय ह।
	नगरीय निकाय की	ओर से का	
आज सन् 20/.2के माह	2 + 11 + a		
श्री	1.7	ग्राम् अधिकानी विम्रायम पर	भ
	1 2 - 2 - 2 '	भार्मस्तरअधिका से गर्मयमन	
(स्थान) में हस्ताक्षर किये –	। नम्न उपास्थात म	नगर सुधार न्यास, अजमेर	
			/4 · - '
साक्षी:- , , ,			
1. नाम पुत्र श्री			¥2.
पुत्र श्री	& a News		7
.व्यवसाय	(3.14.7)	<u>'</u>	
व्यवसाय निवास स्थान	<u></u>	साक्षी	
थ. नाम		# E	
पुत्र श्री 📉 🦙	1870dlos 2		
व्यवसाय			
निवास स्थान :		साक्षी	
Strike	लीज धारक की और	7 7	#11 ·
आजसन् 20	के माह	(Washi 4/1	
कव दिन को निम्नलि	खित की उपस्थिति में	लीजधारक-द्वितीय पक्ष	
उक्त श्रा			
लीजधारक द्वारा कार्यालय	में हस्ताक्षर किरो ग	रो ।	
साक्षी:- १			
1. नाम जावात प्रश्चिमान	<u></u>		
पुत्र श्री हिश्सन्द प्रश्निका	1	(Pauer	
व्यवसाय जिल्ला		साक्षी	•••••
निवास स्थान - योख्यी काल	की विशाली मार्गिर अखार	Wildling Control of the Control of t	
2. नाम <u>रेट्टाज</u>			
पुत्र श्री क्षां ठावन्य क		c 1 h	
Stamm O -		Denido &	
व्यवसाय	1 5 6	रगक्षी	************
THIN THIS LIC TOS	lican algis House		

उक्त श्री / श्रीमती / सुश्री (Executant) 1-KANHAIYA LAL PURSWANI /RAM CHAND PURSWANI Age:54, Caste-SINDHI Ocu.-BUS R/O-VAISHALI NAGAR AJMER

(Warhing







2-GURNAMAL PURSWANI /PESU MAL PURSWANI Age:58, Caste-SINDHI Ocu.-BUSS R/O-333/18 SATGURU MOHALLA AJMER

FUREN PURRIETE PINCE (And Claimant) 1-UIT /UIT Age:0, Caste-

Ocu.-R/O-UIT AJMER

ने लेख्यपत्र LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया। प्रतिफल राशी रू० 576588/- पूर्व में/मेरे समक्ष / मे सें रू० 576588 / - पूर्व में ---यमेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान 1. श्री/श्रीमती/सुश्री NAVEEN PURSWANI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री HIRANAND उम्र 25 वर्ष जाति SINDHI व्यवसाय BUS निवासी VAISHALI NAGAR AJMER

2. श्री / श्रीमती / स्श्री DEVI DAS पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री JETHANAND GAGWANI उम्र 52 वर्ष जाति SINDHI व्यवसाय BUSS निवासी 105 LIC OLONY AJMER ने की है जिनके

समस्त हस्ताक्षर एवं अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गयें हैं।

उप पंजीयक, AJMER-2 (LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))

> आज दिनांक 26/10/2012 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 312 में पृष्ठ संख्या 81 क्रम संख्या 2012007774 पर पंजिबद्व किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1246. के पृष्ठ संख्या 276 से 282 पर चस्पा किया गया।

(2012009311) उप पंजीयक, AJMER-2 (LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))








आज दिनांक 26/10/2012 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 312 में पृष्ठ संख्या 81 क्रम संख्या 2012007774 पर पंजिबद्व किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1246 के पृष्ठ संख्या 276 से 282 पर चस्पा किया गया।



(2012009311) उप पंजीयक, AJMER-2 (LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))



SITE PLAN



NOTE:-

- 1 TOTAL AREA OF PLOT = 1016.91SQ.YDS/850.26SQ.M
- 2 MIN.SET BACKS:- 30 15' 15' 15'
- 3 COVERAGE = WITHIN SET BACKS
- 4 F.A.R. = AS ACHIEVED 1.33
- 5 HEIGHT MAX.GT2(12.0M) 15.0M
- 6 PROPOSED SITE SHOWN IN RED
- 7 WATER HARVESTING STRUCTURE IS COMPULSORY ALL BUILDING BYLAWS 2010 WILL BE APPLICABLE

Eanhi ky

Er. Sunil Kumar Jain
B.E. Civil
APPROVED ARCHITECT
Acme Architects & Builders
Shantipura, A.C.R., AJMER

Ph: 9414002256, 2424456

98/1991/2

सहायक नगर नियोजक

APPLICANT

ARCHITECT

SURVEYOR

AST. TOWN PLANNER

N

RESEDENTIAL SITE PLAN OF PLOT FOR FLATS, IN PART OF K.NO.547,550 TO 555,557 & 558, REV. VILLAGE KOTRA, AJMER. BELONGING TO SH. GURNAMAL S/O SH. PESUMAL & SH. KANHIYALAL S/O RAMCHAND PURSWANI

SCALE :- 1"=40'-0"

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

पृथ्वीराज मार्ग, अजमेर

दूरभाष-0145-2429953, फैक्स-0145-2433813,Email-ajmermc@gmail.com,web.www.ajmermc.org

क्रमांक : ननिअ / एम.बी. / 2017-18 / 411

दिनांक : 1017/17


संयूक्तिकरण आदेश

प्रार्थीगण श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री रामचन्दर पुरसवानी एवं श्री गुरनामल पुत्र श्री पेसूमल निवासीगण, अजमेर ने खसरा नं. 547, 550, से 555, 557 से 558 का भाग जिसका क्षेत्रफल क्रमशः प्लाट नं. (ए) 1016.91 वर्गगज, प्लाट नं. (६) 361.91 वर्गगज, प्लाट नं. (७) 272.22 वर्गगज, प्लाट नं. (७) 272.22 वर्गगज प्लाट नं. (७) 299.55 वर्गगज, प्लाट नं. (10) 248.88 वर्गगज एवं प्लांट नं. (11) 307.22 वर्गगज कुल क्षेत्रफल 2778.66 वर्गगज भूमि के संयुक्तिकरण हेतु दिनांक 22.06.2017 को आवेदन पेश किया गया। पत्रावली में कनिष्ठ अभियन्ता से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार "राज्य सरकार के परिपत्र प.10(65)नविवि/3/04 जयपुर दिनांक 19.02.10 अनुसार पुर्नगठन 1500 वर्गगज तक किया जाना प्रस्तावित है। अतः नगरीय विकास विभाग के परिपत्र/आदेश एफ. 3(1201)नविवि/3/2012पार्ट जयपुर दिनांक 20.05.17 अनुसार वर्तमान में भूखण्ड के पुर्नगठन हेतु 1500 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल भूमि होने के कारण राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाता है परन्तु मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना अवधि में पुर्नगठन के 300 वर्गमीटर के क्षेत्रफल के भूखण्डो को निस्तारण स्थानीय स्तर पर गठित कमेटी द्वारा किया जा सकता है।"

किनष्ट अभियन्ता की प्राप्त रिपोर्ट को एम्पावर्ड कमेटी की दिनांक 01.07.2017 को आयोजित बैठक में जिरये प्रस्ताव संख्या 2(2) के द्वारा निर्णयार्थ रखा गया था। कमेटी द्वारा बाद विचार विमर्श नियमानुसार संयुक्तिकरण करने की स्वीकृति प्रदान की गई। मुताबिक स्वीकृति आवेदक द्वारा रसीद संख्या 4124/9051 दिनांक 04.07.17 से संयुक्तिकरण की राशि रू. 69485/— निगम कोष में जमा करवा दिये जाने के उपरान्त 2778.66 वर्गगज भूमि प्रार्थीगण श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री रामचन्दर पुरसवानी एवं श्री गुरनामल पुत्र श्री पेसूमल निवासीगण अजमेर के नाम हितधारियों के स्विमत्व को प्रभावित किये बिना एकीकरण/पूर्नगठन की तकनिकी स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

संलग्न : अनुमोदित साईड प्लान की प्रति।

उपायुक्त नगर निगम, अजमेर



1. TOTAL AREA OF PLOT	:- 2778.66 SQ.YDS. / 2323.29 SQ.MTS.
AREA OF PLOT NO: A	:- 1016.91 SQ.YDS. / 850.26 SQ.MTS.
AREA OF PLOT NO: 6	:- 361.66 SQ.YDS. / 302.39 SQ.MTS.
AREA OF PLOT NO: 7	:- 272.22 SQ.YDS. / 227.61 SQ.MTS.
AREA OF PLOT NO: 8	:- 272.22 SQ.YDS. / 227.61 SQ.MTS.
AREA OF PLOT NO: 9	:- 299.55 SQ.YDS. / 250.45 SQ.MTS.
AREA OF PLOT NO: 10	:- 248.88 SQ.YDS. / 208.10 SQ.MTS.
AREA OF PLOT NO: 11	:- 307.22 SQ.YDS. / 256.87 SQ.MTS.


2. PROP. SITE SHOWN IN RED

3. MAX. HEIGHT = ACCORDING BYELAWS 8.11

4. F.A.R. :- 1.33 MIN. & 2.25 MAX.

5. ALL BUILDING BYELAWS 2013 WILL BE APPLICABLE IS SANCTIONED WITH FOLLOWING CONDITIONS

- 6. THE SET BACK AS SHOWN IN PLAN WILL BE STRICTLY
- 7. NO CONSTRUCTION WILL BE DONE IN THE SET BACKS.
- 8. THE CONSTRUCTION OF BUILDING WILL BE DONE AFTER SANCTIONED OF BUILDING PLAN.
- 9. RAIN WATER HARVESTING TANK IS COMPULSARY AS PER BUILDING BYELAWS





संयुक्तिकरण स्मिक्तरी-

APPLICANT

(ME32 Manish Maheshwari Architect Services Near ADA, Todarmal Marg. Almer 2 -0145-2631330 041:004380 ARCHITECT

कनिष्ठ अभियना नगर निगम, अजमेर

RECONSTITUTION PLAN

RECONSTITUTION PLAN OF (FLAT PURPOSE) OF PLOT NO. A, 6, 7, 8, 9, 10 & 11, PART OF KHASRA NO. 547, 550 TO 555, 557 & 558 SITUATED AT REV. VILLAGE KOTRA, AJMER.

BELONGS TO :- 1. SHRI GURNAMAL S/O SHRI PESUMAL JI &

2. SHRI KANHIYALAL S/O SHRI RAMCHAND PURSWANI

MAHESHWARI **TECHNOCRATES**

Nr. U.I.T TODARMAL MARG, AJMER CON: - 0145 - 2631330 , 9414004380 .



having registered office address at Plot No. 1, Sant Kanwar ram colony, Ajmer.

Mr. Gurnamal Purswani S/o Mr. Pesumal , aged 58 years, resident of 2, Chaudhary Colony, Vaishali nagar, Ajmer. (Hereinaîter Called as Partner)

3. Mr. Kanhaiyalal Purswani S/o Mr Ramchand aged 61 years, resident of 333/18,

All the parties referred above to be called collectively as partners and carrying on the Business of real estate development and other relevant activities, with the common consent of all the partners. All the partners would conduct all the activities relevant to the real estate development such as buying, selling and developing various residential, commercial and civil infrastructure projects. Thus all the activities regarding to the business would be conducted with the unanimous decision of all the partners. The Primary object of the firm would be, embarking on the new heights of real estate development. The partnership has been initiated by taking an immovable property in the common stock of the firm. The details of the property taken into common stock of this newly incorporated firm is mentioned below. The property is owned and registered in favour of Mr. Kanhaiyalal Purswani and Mr. Gurnamal Purswani and the lease deed is also executed in favour of both.

Satgury Mohalla, Khari Kui, Ajmer (Hereinafter Called as Partner)

(Hereinafter Called as Partner)

Jobin Schah



RAJASTHAN

E 898634

From today onwards Mr. Gurnamal Purswani and Mr. Kanhaiyalal Purswani have sold the 1/3 (One third) share of the property to M/s G I Infra International Private R 2016 Limited (CIN:U7010RJ2014PTC045346) for a consideration of Rs. 22,00,000 (Rs. Twenty two Lacs only). The Consideration for transfer of the one third share by the property has been paid through two account payee cheques of Rs.11,00,000 (Rs. Eleven Lacs) each to Mr. Gurnamal Purswani and Mr. Kanhaiya Lal Purswani respectively through Cheque no. 308677 and Cheque no. 308676 drawn on State Bank of Bikaner and Jaipur, Diggi Chowk, Ajmer. The details of the Property put into the common stock of the firm M/s G I Infrastructure is as follows:

Plot No. 6,7,8,9,10,11 and flats thereupon situated at village kotra, Ajmer, which are duly converted and lease deed is obtained for the same. All the above plots measuring 2774.66 Sq. Yrds. Are put into the common stock of the firm and may be sold as it is or any structure (Either residential or commercial) may be built up on the abovementioned property and sold. Thus the abovementioned three partners would carry on the business of developing the abovementioned property, in the joint venture, as per their will. All the three partners would be considered as joint owner of the abovementioned property. The Abovesaid property would be developed sold or leased out only with the unanimous decision of all the partners. It is further decided that:

The preliminary Investments would be made in -

- 1. Furniture & Fixtures etc.
- 2. All types of Preliminary expenditure

Jobin Schat;

- mund

ATTESTED

(JITENDRA KUMAR KHETAWAT)
, Notary Public, AJMER (Raj.)

नाम विमाक - प - 6 हा राज्य रा



In order to define their respective rights and obligations, this deed of partnership is being executed and all parties above, have agreed on following terms and conditions.

1. The name of firm would be M/s G I Infrastructure, but all the partners with their consent may carry on business in other name.

2. This deed of partnership will be effective from 1st Day of April 2016.

The Registered office of the Firm shall be at H. No. 2, Chaudhary Colony 3. , Vaishali nagar Ajmer, Rajasthan , and may be changed at any other place or places as agreed upon from time to time. 4.

The Office of the Firm would be at H. No. 2, Chaudhary Colony, Vaishali

nagar, Ajmer, Rajasthan.

That the proper books of accounts shall be maintained and kept at the registered office, same shall be closed every year on 31st march when the final accounts shall be drawn upon.

All the partners have agreed to work in partnership firm as working partners , and they will pay proper attention to the business of partnership firm and

working in partnership as under.

The yearly remuneration payable to them shall be calculated as under in percentage of income of each accounting period in the following as under.

The remuneration payable to the partners would be as follows:

In respect of income of first Rs 300000 Profit 90%

In respect on income of next Rs 300000 Profit 60%

In respect of balance of income 40%

For the purpose of above calculation the income shall be computed as defined in explanation to sec 40 of income tax act 1961, or any other applicable provision as may be in force for income tax assessment of the partnership firm for the relevant accounting period.

The partners shall be entitled to increase or decrease the above remuneration, may agree to pay remuneration to other working partners or partner as the case may be the parties here they also agree to revise the mode of calculation the above said remuneration as may be agreed to by and between the partners from time to time.

The remuneration payable to above said partners shall be credited to their respective account at the close of accounts the partnership are made upto the amount of remuneration shall fall due to them on determining the same in the manner referred to here in above.

The said partners shall be entitled to draw their remuneration only after the end of the relevant accounting period however nothing here in contained shall preclude any of the said partners from withdrawing any amount from the firm against the amount stand to the capital and or current or loan account or his share of profit for the relevant accounting year in such manner.

Jobin Schall

Notary Public, AJMER (Raj.)

6.

5.



- The necessary capital as well as further funds required for the purpose of partnership shall be contributed/ arranged by the partners in such manner as may be mutually agreed up on by and between the partners from time to time interest @12% per annum or such rate as may be prescribed by section 40(b) of income tax act 1961 of other amendment there of which may be in force in the relevant financial year shall be payable to the partners . the amount outstanding to the credit of the account of the partners such interest shall be calculated and credited to the account of each partner at the close of the accounting year.
- The profit & Loss of the firm may be obtained after defraying all the 7. expenses relating to the business.
- The Capital has been contributed by the partners in 1:1:1 ratio (Equal ratio) 8.
- The Profit / Loss of the firm will be divided in 1:1:1 (Equal ratio) ratio 9. among the partners .
- That the firm shall open a bank a/c which shall be operated by all or any of 10. the partners or their authorized representatives.
- That with the mutual consent new partner may be admitted.
- That the firm shall be 'at will' of the partners.
 - That any dispute or controversy arising out of the business shall be referred to the arbitration under the arbitration act 1940 including the statutory modification thereof.
 - That subject to above provisions of the Indian Partnership act 1932 shall apply to all matters not specified in this deed .
 - In case of any dispute or dissolution of the firm all the partners would withdraw their capital & any excess money in the Profit Sharing Ratio ratio (Capital Investment ratio, i.e. Equal ratio).
- Any dispute would be solved with the mutual consent. 16.
- If any Partner conducts any activity unlawfully in the name of the firm 17. without the consent of another partner, then he would be personally liable for that.
- The firm would be liable only for that activities which is conducted with 18. the common consent of all the partners.

The above deed has been executed on this 1st Day of April 2016 in the 19. witness of the Persons signed hereunder.

For M/s G I Infra International Private Limited (Managing Director - Mr. Gobind Khatwani)

Mr. Gurnamal Purswani

Mr .Kanhaiyalal Purswani

Romes (Names Korman)

Claudlay Colony Vaidalingo

15.

Notary Public, AJMER (Raj.)